10

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

योगेश कुमार यादव

उप कोषाधिकारी
शाहगंज, जौनपुर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BE 579557

29-1-19

कार्यालय उपनिबन्धक शाहगंज, जौनपुर

आवेदन संख्या– 2019 00981001128

बाबा द्वारिका दास हरि ट्रस्ट

ग्राम व पोस्ट–डेहरी, थाना–सरपतहाँ परगना–अंगुली, तहसील–शाहगंज जिला–जौनपुर (उत्तर प्रदेश)।

निष्पादनकर्ता:– डा0 सूर्यभान यादव पुत्र श्री हरीलाल यादव ग्राम व पोस्ट–डेहरी, थाना–सरपतहाँ परगना–अंगुली, तहसील–शाहगंज, जिला–जौनपुर (उत्तर प्रदेश)।
आ०सं.379545095094 Mo. 9958935408

ट्रस्ट की धनराशि–25,000/–रू0 (पच्चीस हजार रूपये)।

निष्पादन तिथि– 29/01/2019

S. yadav

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 73AD 106738

बाबाद्वारिका दास हरि ट्रस्ट

ग्राम व पोस्ट–डेहरी, थाना–सरपतहाँ परगना–अंगुली, तहसील–शाहगंज जिला–जौनपुर (उत्तर प्रदेश)।

मैं डा0 सूर्यभान यादव पुत्र श्री हरीलाल यादव निवासी ग्राम व पोस्ट–डेहरी, थाना–सरपतहाँ परगना–अंगुली, तहसील–शाहगंज, जिला–जौनपुर (उ0प्र0) मैं बाबा द्वारिका दास हरि ट्रस्ट ग्राम व पोस्ट–डेहरी, थाना–सरपतहाँ परगना–अंगुली, तहसील–शाहगंज, जिला–जौनपुर (उ0प्र0) का दस्तावेज अपने हस्ताक्षर से रजिस्टर्ड कराता हूँ।

(1) <u>ट्रस्ट/न्यास की स्थापना :</u>

इस लोक–कल्याणकारी एवं मानवता–प्रेमी ट्रस्ट/न्यास का निर्माण एवं स्थापना दिनांक– 29/01/2019 दिन मगंलवार को किया गया। इस न्यास/ट्रस्ट डीड (दस्तावेज) को बाबा द्वारिका दास हरि ट्रस्ट के नाम से जाना जायेगा। इस न्यास/ट्रस्ट का उद्देश्य समाज के विभिन्न उद्देश्यों जैसे—जन–शिक्षा को बढ़ावा देने, सभी के स्वास्थ्य, विकास (सामाजिक, मानसिक एवं आर्थिक), विज्ञान, नैतिक मूल्यों, कला, साहित्य, खेलकूद, पर्यावरण एवं भारतीय संस्कृति एवं परम्परा का निर्वाह करना है।

(2) <u>ट्रस्ट/न्यास की विविध प्रतिबद्धताएँ :</u>

बाबा द्वारिका दास हरि ट्रस्ट इण्डियन ट्रस्ट ऐक्ट 1882 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड किया जा रहा है। इस ट्रस्ट पर ट्रस्ट ऐक्ट 1882 के वे समस्त नियम/उपनियम लागू होंगे, जो कि इस ट्रस्ट ऐक्ट के लिये आवश्यक है और न्यायिक विधा में व्यवहारिक तथा विधिमान्य है। बाबा द्वारिका दास हरि ट्रस्ट उसके अनुपालन में सदैव प्रतिबद्ध है। ट्रस्ट के न्यासकर्ता द्वारा घोषणा की जाती है कि रुपया 25,000/– (पच्चीस हजार) मात्र से इस ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है जो कि न्यास/ट्रस्ट के न्यासी/ट्रस्टी सदस्यों द्वारा प्राप्त हुई है।

SByadav

7896 29-1-19

न्यास पत्र

प्रतिफल- 25[illegible] स्टाम्प शुल्क- 1250 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 140 योग : 640

श्री डा० सूर्यभान यादव
पुत्र श्री हरीलाल यादव
व्यवसाय : कृषि
निवासी: निवासी ग्राम डेहरी परगना अँगुली तहसील शाहगंज जिला जौनपुर
आधार स०-379545095094

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय मे दिनॉक 29/01/2019 एवं 04:11:13 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

श्याम मोहन (प्रभारी)
उप निबंधक :शाहगंज
जौनपुर
29/01/2019

अहमद काजिम आब्दी
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित

1/29/2019

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये TEN RUPEES

रु.10 Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 77AD 406779

आगे यह भी घोषणा की जाती है कि जो भी दान, अनुदान, कोष (फण्ड) व सम्पत्ति के रूप में प्राप्त होगा, उसका उपयोग लोक–कल्याणकारी, मानव–भलाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन एवं अन्द कल्याणकारी कार्यों के लिये होगा। जो अनुदान, दान, धनराशि न्यास/ट्रस्ट को प्राप्त है या प्राप्त होगी, उसका उल्लेख रजिस्टर में अंकित होगा या बैंक खाते का विवरण दिया जायेगा। संस्थापक न्यास/ट्रस्ट बाबा द्वारिका दास हरि ट्रस्ट के नाम उपरोक्त धनराशि सौंप चुका है तथा न्यास/ट्रस्ट के उद्देश्यों को संचालित करने के लिये नियुक्त सचिव/प्रबन्धक, ट्रस्ट/न्यास पहले से ही अपनी सहमति व्यक्त कर चुका है और वैधानिक रूप से 25,000/–रू0 (पच्चीस हजार) से अपना मालिकाना का अधिकार रखता है। न्यास/ट्रस्ट के समुचित एवं स्थायी सुरक्षा की दृष्टि से प्रथम पात्र सचिव/प्रबन्धक की नियुक्ति की गयी है। न्यास/ट्रस्ट के औपचारिक दस्तावेज को क्रियान्वित करने के लिये यह समझा जाता है कि न्यास/ट्रस्ट निश्चित शर्तों के साथ सचिव/प्रबन्धक को अपना अधिकार प्रदान करती है।

न्यास/ट्रस्ट के संस्थापक द्वारा इस दस्तावेज को गवाहों के समक्ष निम्नलिखित रूप से प्रेषित/घोषित की जाती है–

1. रुपये 25,000/–(पच्चीस हजार)न्यास/ट्रस्ट की सम्पत्ति होगी और बाद में न्यास/ट्रस्ट की सम्पत्ति कहलायेगी।

2. ट्रस्ट सम्पत्ति का अर्थ होगा उपरोक्त रकम रुपये 25,000/–(पच्चीस हजार)न्यास/ट्रस्ट की होगी। इसके अतिरिक्त समय–समय पर पूँजी लगाना या किसी क्षेत्र से प्राप्त की गयी धनराशि। इसके अतिरिक्त दान–दाताओं एवं स्वयंसेवी संगठनों तथा किसी संस्था अथवा सोसायटी द्वारा दी गयी रकम या सम्पत्ति न्यास/ट्रस्ट की होगी।

Sbyadav

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री डा० सूर्यभान यादव, पुत्र श्री हरीलाल यादव
निवासी: निवासी ग्राम डेहरी परगना अंगुली तहसील
शाहगंज जिला जौनपुर आधार स०-379545095094
व्यवसाय: कृषि

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री दिनेश यादव , पुत्र श्री भारत यादव
निवासी: निवासी ग्राम कटका पो०-डेहरी परगना अंगुली
तहसील शाहगंज जिला जौनपुर आधार
स०-803418569004
व्यवसाय: कृषि

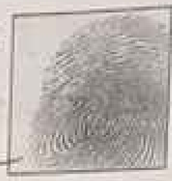

पहचानकर्ता : 2

श्री पंकज कुमार , पुत्र श्री कन्तलाल
निवासी: निवासी ग्राम सुल्तानपुर घुघुरी परगना अंगुली
तहसील शाहगंज जिला जौनपुर आधार
स०-784302730277
व्यवसाय: कृषि

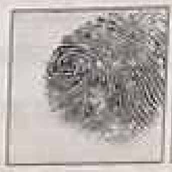

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे
नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

श्याम मोहन (प्रभारी)
उप निबंधक : शाहगंज
जौनपुर

अहमद काजिम आब्दी
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

73AD 106698

3–ट्रस्ट/न्यास पर प्रोविजन इन्कमटैक्स ऐक्ट 1961 की सभी शर्ते होगी। उपरोक्त न्याय/ट्रस्ट में नामित व्यक्ति, जो पदाधिकारी/सदस्य बनाये गये वे निम्नलिखित है:–

क. सं.	नाम/पिता/पतिका नाम	पद नाम	व्यवसाय	पता
1	डा0 सूर्यभान यादव पुत्र हरीलाल यादव	प्रबन्धक/ सचिव	व्यापार	ग्रा व पो0–डेहरी शाहगंज, जौनपुर।
2	बाबाराम प्रकाश दास चेला बाबा द्वारिका दास	अध्यक्ष		ग्रा.–सारीजहाँगीरपट्टी, शाहगंज, जौनपुर
3	हरीलाल यादव पुत्र स्व० सीताराम	उपाध्यक्ष/ संस्थापक		डेहरी शाहगंज जौनपुर
4	चन्द्रभान यादव S/o हरीलाल यादव	सदस्य		डेहरी शाहगंज जौनपुर
5	डा0 नेहा यादव पत्नी इन्द्रभान यादव	सदस्य		डेहरी शाहगंज जौनपुर
6	डा0 उदयभान पुत्र बंशराज यादव	सदस्य		ग्राम–ओंधीपुर, फूलपुर, आजमगढ़।
7	रमेशचन्द्र यादव पुत्र लालता प्रसाद	सदस्य		ग्रा.समसपुर, जौनपुर नपुर।
8	अमित आनन्द पुत्र कृष्णानन्द	सदस्य		ग्रा.–कुहिया शाहगंज, जौनपुर।
9	जितेन्द्र यादव पुत्र सुखलाल यादव	सदस्य		ग्रा.–गडैला, सदर, जौनपुर।

4–ट्रस्ट/न्यास का नाम– बाबा द्वारिका दास हरि ट्रस्ट।

5– ट्रस्ट/न्यास का स्थायी पता– ग्राम व पो0–डेहरी, तहसील–शाहगंज, जिला–जौनपुर।

6– ट्रस्ट/न्यास निर्माता/न्यासकर्ता – डा0 सूर्यभान यादव पुत्र हरीलाल यादव ग्राम व पो0–डेहरी, तहसील–शाहगंज, जिला–जौनपुर।

S.yadav

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

भारत

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 73AD 106741

(7)	न्यास/ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र	:	सम्पूर्ण भारत देश।
(8)	न्यासकर्ता द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम व पद	:	डा0 सूर्यभान यादव (न्यासी सचिव/प्रबन्धक)
(9)	न्यासधारी ट्रस्टी	:	बाबा द्वारिका दास हरि ट्रस्ट ग्राम व पो0–डेहरी, तहसील–शाहगंज, जिला–जौनपुर।
(10)	ट्रस्ट/न्यास का स्वरूप	:	यह ट्रस्ट/न्यास एक चैरिटेबल संस्था है जो धर्म, जाति, वर्ग, सम्प्रदाय एवं राजनीति से ऊपर उठकर समाज एवं व्यक्तियों के उत्थान के लिये कार्य करेगी।
(11)	लाभग्राही	:	हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि समस्त जाति–धर्म के समस्त लोगों को बिना किसी भेद–भाव के सामान्य विकास एवं मानव–मात्र के सर्वांगीण विकास के लिये यह ट्रस्ट काम करेगा और सभी को समान लाभ पहुँचाने का प्रयास करेगा तथा मानव विकास में सहायक प्राणियों एवं वनस्पतियों के विकास व कल्याण के लिये प्रयास किया जायेगा।

SByadav

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

73AD 106742

12) <u>ट्रस्ट के उद्देश्य :</u>

1. सभी धर्म एवं संस्कृति का संरक्षण, प्रचार एवं प्रसार करना।

2. सभी धर्मों के प्रार्थना भवनों आदि का निर्माण एवं जीर्णोद्धार कराना।

3. सभी धर्मों के प्रचार–प्रसार हेतु संगोष्ठी एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।

4. सामाजिक विकास के लिये पुस्तकालय, चिकित्सालय तथा प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल, उच्च माध्यमिक, इण्टर एवं सी.बी.एस.सी. बोर्ड, आई.सी.एस.ई. बोर्ड, यू.पी. बोर्ड, महाविद्यालय (कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, विधि, रोजगारपरक पाठ्यक्रम), अभियान्त्रिक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, हॉस्पिटल, सामाजिक शिक्षा, बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., डी.पी.एड., डी.एड., बी.टी.सी., मैनेजमेन्ट कोर्सेज, एम.बी.ए., डी.बी.एम., एम.पी.एड., एम.एम.एस., बी.बी.ए., बी.सी.ए., होटल मैनेजमेन्ट, पी.जी. डिप्लोमा एवं डिग्री इन इन्जीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आई.टी.आई., आवासीय विद्यालय, निराश्रित सेवा केन्द्र (अनाथालय), मूक–बधिर विकलांग केन्द्र, छात्रावास, पशु अस्पताल, गो–सेवा सदन, मुर्गी पालन, सांस्कृतिक केन्द्र, कुटीर उद्योग, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, कृषि विज्ञान शिक्षा केन्द्र, दूध–डेयरी केन्द्र आदि की स्थापना करना एवं इनका संचालन करना।

5. सामाजिक विकास के लिये विशेषकर इन क्षेत्रों में जैसे––भारतवर्ष के निरीह और जरूरत–मन्द बच्चों के लिये शिक्षा की व्यवस्था के लिये भारत के विभिन्न प्रान्तों में अपने उद्देश्यों के निहित भिन्न–भिन्न बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं का संचालन करना एवं उसकी प्रबन्ध समितियों का गठन करना तथा प्रबन्ध समितियों का संचालन करना।

6. समय–समय पर मिनिट्स, गोष्ठी, सेमीनार, अधिवेशन, प्रदर्शनी और प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन करना।

SByadav

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत INDIA सत्यमेव जयते

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 75AD 106243

शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब, मजदूर, महिलाओं–पुरुषों के शैक्षिक, सामाजिक आर्थिक व स्वास्थ विकास के लिये खादी ग्रामोद्योग, ईंट/कुटीर उद्योग, स्वास्थ एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम, कृषि विकास, पशुपालन, पर्यावरण, भूमि सुधार, सिंचाई, पेयजल, नशा–बन्दी निवारण, सामाजिक कुरीतियों का निवारण, साम्प्रदायिकता निवारण, राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता का विकास, आकस्मिक दुर्घटना में सहायता, महिला उत्पीड़न का विरोध व प्रताड़ित महिलाओं का संरक्षण, बाल–विवाह व बेमेल विवाह का विरोध, विधवा विवाह को प्रोत्साहन, अनाथ बच्चों की शिक्षा का संरक्षण व पोषण, परम्परागत चिकित्सा प्रणाली का विस्तार आदि कार्यक्रम चलाया जाना।

8. देश की होनहार प्रतिभाओं, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीति में एवं उत्कृष्ट सेवाओं में ईमानदार अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्साह–वर्धन के लिये नागरिक सम्मान व प्रशस्ति–पत्र तथा पुरस्कार प्रदान करना।

9. निराश्रित एवं जरूरतमन्दों की मदद करना, न्यास/ट्रस्ट द्वारा जरूरतमन्दों को स्वरोजगार हेतु न्यूनतम दर पर ऋण प्रदान करना।

10. ट्रस्ट अपने स्वावलम्बन कार्यक्रम के लिये जनता, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, जिला प्रशासन, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं सरकारों के अधीन विभिन्न मन्त्रालयों व अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से चन्दा, दान, अनुदान प्राप्त करेगा।

11. दलित एवं अति पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, एस.सी. /एस.टी. फण्ड, ओ.बी.सी. के उत्थान के लिये कार्य करना।

12. समाज के कमजोर वर्ग, महिलाओं, विकलांगों एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिये कार्य करना तथा समाज में आदर्श, संस्कृति, समानता, भाईचारा एवं सह–अस्तित्व स्थापित करने के लिये कार्य करेगा।

S. Yadav

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

73AD 106744

13. समाज में व्याप्त बुराईयों एवं कुरीतियों का प्रबल विरोध करेगा एवं व्यक्तियों के सॉस्कृतिक तथा चारित्रिक निर्माण के लिये प्रयास करेगा।

14. युवकों को मद्यपान एवं नशाखोरी के प्रभाव से निकाल कर पुनर्वास की व्यवस्था करेगा। तथा उन्हें स्वरोजगार द्वारा स्वावलम्बी बनाने का प्रयास करेगा।

15. सभी के स्वास्थ, समृद्धि एवं स्वावलम्बन की व्यवस्था के लिये प्रयास करना तथा स्वदेशी की अवधारणा पर खादी एवं ग्रामोद्योग का विकास करेगा एवं इसके लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा।

16. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं कृषकों के उत्थान के लिये टिकाऊ कृषि प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिये तथा कृषकों को सब्जी एवं फल प्रसंस्करण के लिये प्ररित करेगा एवं प्रशिक्षित करेगा। कृषि आधारित उद्योग के प्रचार–प्रसार एवं स्थापना हेतु उपयुक्त पात्रों को परामर्श एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा।

17. सभी को शिक्षा की व्यवस्था के लिये प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाईस्कूल, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इन्जीनियरिंग, आई.टी.आई., आई.आई.टी. फार्मेसी, मेडिकल, नर्सिंग, संगीत एवं कला कॉलेजों की स्थापना करना एवं संचालित करना।

18. मातृ–शिशु कल्याण, जनसंख्या नियन्त्रण एवं टीकाकरण कार्य के लिये कार्य करेगा। तथा प्रचार–प्रसार करेगा।

19. प्राकृतिक आपदाओं जैसे––बाढ़, सूखा, आगजनी, महामारी, विपत्तियों के समय भी पीड़ितों को हर सम्भव सहायता उपलब्ध करायेगा। समय–समय पर मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, केन्द्रीय समाज कल्याण परिषद, स्वास्थ विभाग इत्यादि संस्थाओं से सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग करेगा।

S. yadav

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

73AD 106745

20. ग्राम स्तर पर उत्पादित वस्तुओं, हस्तकला सामग्रियों, कताई–बुनाई, सिलाई–कढ़ाई इत्यादि के निर्माण के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगा।

21. जैविक खेती द्वारा सब्जी, फल एवं अनाज का उत्पादन कराकर फसलों में रोग नियन्त्रण हेतु विभिन्न कीटों (फसल मित्र) का प्रयोग करेगा और रासायनिक विषक्तता की मुक्ति के लिये पयास करेगा।

22. गो–वंश संरक्षण एवं विकास की दिशा में कृषकों एवं जनमानस की भागीदारी को बढ़ाने के लिये कार्य करेगा।

23. सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा एवं प्रदूषण नियन्त्रण तथा भारतीय जीव–जन्तु कल्याण एवं अन्य जीव संरक्षण और संवर्धन के लिये कार्य करेगा तथा संरक्षण एवं सघन वृक्षारोपण को बढ़ावा देगा।

24. जगह–जगह पर वनौषधिक उद्यानों की स्थापना कराकर औषधियों (विशेषतः लुप्त प्रायः) का संरक्षण एवं संवर्धन के लिये जागरूकता पैदा करायेगा।

25. गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों का विकास एवं प्रचार–प्रसार करेगा।

26. प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक दृष्टि से सर्वेक्षण करेगा तथा पत्रिका व न्यूज पेपर (समाचार–पत्र) सम्पादित करेगा।

27. खेल–कूद, पर्यटन, योग या लोकगीत, लोक–संस्कृति एवं परम्पराओं का प्रचार–प्रसार एवं विकास करेगा।

28. विभिन्न प्रकार की सूचनाएँ जैसे––सॉस्कृतिक, वैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक इत्यादि एकत्र करेगा तथा कार्यशालाओं का आयोजन कर इन सूचनाओं को जन–सामान्य तक पहुँचायेगा।

S.B. yadav

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 73AD 438233

29. शासन स्तर पर हो रहे ग्रामीण विकास एवं समाज कल्याण के प्रयासों का प्रचार–प्रसार करना एवं उस दिशा में आने वाली समस्याओं का निराकरण करने में सहयोग करेगा।

30. प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन करना।

31. किसी अन्य न्यास/ट्रस्ट/संस्थान से सम्बद्ध होना तथा सम्बद्ध करना और इस ट्रस्ट में समायोजित कर सकना तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना।

32. धरना–प्रदर्शन, गोष्ठी, सम्मेलन, सेमिनार, वार्षिक अधिवेशन आदि के माध्यम से अपनी बात शासन–प्रशासन तक पहुँचाना।

33. संविधान के तहत मानवाधिकार के नियमों, उपनियमों, क्रियाकलापों के बारे में जानकारी प्रदान करने की कार्यप्रणाली को विकसित करना।

34. केन्द्र सरकार के सभी विभागों––मानव संसाधन, समाज कल्याण, नाबार्ड, कपार्ट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, महिला कल्याण बोर्ड, नेहरू युवा केन्द्र, खेल–कूद युवा कल्याण मंत्रालय, ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी एवं राज्य सरकार के सभी विभागों के कार्यों का संचालन/सहभागिता करना।

35. समाज के निरासित लोगों के हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, फोटोस्टेट, टाइपिंग, कम्प्यूटर केन्द्र आदि की व्यवस्था/स्थापना/संचालन करना।

36. शीत–गृहों एवं भण्डार–गृहों का निर्माण कर अनाज, फलों, सब्जियों (आलू, प्याज) आदि का भण्डारण करना तथा उनका क्रय–विक्रया करना/कराना।

37. विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिये अन्य संस्थाओं, हॉस्टलों, होटलो, अतिथि–गृहों की स्थापना करेगा, जो इस संस्था के अन्तर्गत कार्य करेगी।

Sgyadav

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

73AD 438235

5) <u>ट्रस्ट/न्यास की सदस्यता</u> : ट्रस्ट/न्यास की सदस्यता निम्नलिखित प्रकार से होगी–

1. <u>संस्थापक ट्रस्टी</u> :
   1. श्री डा० सूर्यभान यादव
   2. श्री बाबा राम प्रकाश दास
   3. श्री हरीलाल यादव

इस ट्रस्ट/न्यास के संस्थापक ट्रस्टी होंगे, जिन्हें अपने जीवन–काल में उत्तराधिकारी के अलावा किसी भी प्रकार के ट्रस्टी को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है, ये कर सकते हैं, परन्तु उसके लिये ट्रस्ट के निष्पादनकर्ता श्री सूर्यभान यादव की सहमति आवश्यक होगी। इस ट्रस्ट/न्यास के संचालन एवं नियन्त्रण का सर्वाधिकार मात्र श्रीसूर्यभान यादवको प्राप्त है। इन तीनों ट्रस्टियों में से यदि कोई स्थान रिक्त होता है तो उनके उत्तराधिकारी या उनकी सहमति से कोई एक उत्तराधिकारी उनका स्थान ग्रहण करते रहेंगे। ये तीनों आजीवन ट्रस्टी होंगे।

2. <u>मुख्य ट्रस्टी/न्यासी</u> :
   1. श्री डा० सूर्यभान यादव
   2. श्री बाबा राम प्रकाश दास
   3. श्री हरीलाल यादव

आजीवन मुख्य ट्रस्टी/सदस्य होंगे, ये संस्थापक ट्रस्टी के कार्यों में सहयोग तथा अपनी राय व्यक्त करेंगे। इनमें से किसी का स्थान रिक्त होने पर उनके उत्तराधिकारी उनका स्थान ग्रहण करते रहेंगे परन्तु उसके लिये संस्थापक ट्रस्टी की

SBYadav

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

73AD 438234

38. जनहित में किसी भी सरकारी विभाग से सहायता/निविदा प्राप्त कर सडक निर्माण कराना, नये तालाबों का निर्माण एवं पुराने का जिर्णोद्धार कराना तथा मछली पालन, पशु पालन एवं मधुमक्खी पालन आदि कार्यों का संचालन करना।

39. सरकारी/गैरसरकारी विभागों से प्राप्त निविदा/निर्देशों के अनुसार ऊसर भूमि, पाथर भूमि से पत्थर के खनन एवं बालू के खनन का कार्य कराकर भूमि को उपजाऊ योग्य बनाना।

40. अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं से ऋण लेना।

41. अन्य सभी कार्य करेगा जिससे जन–सामान्य की भलाई एवं कल्याण हो।

42. राधाकृष्ण मन्दिर व मठ पर आने वाले समस्त खर्च का वहन ट्रस्ट करेगा। जिसका सदउपोग मठ मन्दिर के महन्थ पूजारी द्वारा किया जायेगा

(13) ट्रस्ट/न्यास की प्रबन्धकारिणी समिति :

ट्रस्ट/न्यास की प्रबन्धकारिणी समिति में दस्तावेज में उल्लिखित पदाधिकारी/ट्रस्टी सदस्य, आजीवन सदस्य रहेंगे। इनमें से किसी का स्थान रिक्त होने पर पदाधिकारी/ट्रस्टी सदस्य के उत्तराधिकारी या उनकी सहमति से कोई एक उत्तराधिकारी उनका स्थान ग्रहण करते रहेंगे, परन्तु उसके लिये संस्थापक ट्रस्टी की सहमति/अनुज्ञा आवश्यक होगी। संस्थापक ट्रस्टी चाहे तो रिक्त स्थान पर किसी अन्य को प्रबन्धकारिणी समिति का ट्रस्टी सदस्य नामित कर सकता है।

(14) प्रबन्धकारिणी समिति में उत्तरदायी पद :

ट्रस्ट/न्यास के प्रबन्धकारिणी समिति में उत्तरदायी पद ट्रस्टी अध्यक्ष, ट्रस्टी सचिव/प्रबन्धक, ट्रस्टी कोषाध्यक्ष होंगे। इस ट्रस्ट के सचिव/प्रबन्धक ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे।

S.yadav

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

73AD 438236

3. सहयोगी ट्रस्टी/न्यासी : जो व्यक्ति ट्रस्ट/न्यास को रु. 50,000/= (पचास हजार) वार्षिक सदस्यता शुल्क प्रदान करेगा, वह एक वर्ष की अवधि के लिये सहयोगी ट्रस्टी/न्यासी होगा अर्थात् इस ट्रस्ट के नाम एवं उद्देश्यों का उपयोग कर सकता है तथा उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उसे घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। इसके लिये संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी की अनुमति लेना आवश्यक होगा। सहयोगी ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के नाम एवं उद्दश्यों का गलत इस्तेमाल करने अथवा ट्रस्ट के विरुद्ध कार्य करने पर उनका अनुबन्ध स्वतः समाप्त समझा जायेगा और उनके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दायर कर दण्डित कराया जायेगा।

4. विशिष्ट ट्रस्टी सदस्य : जो व्यक्ति ट्रस्ट/न्यास को एक मुश्त रु. 1,00,000/= (एक लाख) नगद अथवा उससे अधिक की चल/अचल सम्पत्ति दान स्वरूप देगा, वह व्यक्ति पाँच वर्षों हेतु ट्रस्ट का विशिष्ट ट्रस्टी सदस्य होगा। ट्रस्ट के नाम एवं उद्दश्यों का गलत इस्तेमाल करने पर उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी तथा उनके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर कर दण्डित कराया जायेगा।

5. साधारण/सामान्य ट्रस्टी सदस्य : जो व्यक्ति ट्रस्ट/न्यास को एक मुश्त रु. 5,000/= (पाँच हजार) सदस्यता शुल्क के रूप में दान स्वरूप देगा, वह पाँच वर्ष हेतु ट्रस्ट का साधारण/सामान्य ट्रस्टी सदस्य होगा। ट्रस्ट के नाम एवं उद्दश्यों का गलत इस्तेमाल करने पर उनकी सदस्यता स्वत समाप्त समझी जायेगी। Sgyadav

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 73AD 438237

6. <u>ट्रस्टी/न्यासी की सदस्यता समाप्ति :</u> किसी सदस्य के पागल होने, दिवालिया होने, मृत्यु होने पर या किसी न्यायालय द्वारा सजा पाने या त्याग-पत्र देने पर सदस्यता समाप्त समझी जायेगी या किसी सदस्य द्वारा ट्रस्ट के विरुद्ध कार्य करने पर उन्हें प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा निलम्बित किया जा सकता है अथवा उनकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। प्रथम संस्थापक ट्रस्टी, जिसके द्वारा ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराया गया है, किसी सदस्य को ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में बाधक पाने पर अथवा ट्रस्ट के विरुद्ध कार्य करने पर बिना किसी पूर्व सूचना के उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। इसके लिये ट्रस्ट प्रबन्धकारिणी समिति की सहमति की आवश्यक नहीं है।

(16) प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :

अध्यक्ष :

1. समस्त बैठक की अध्यक्षता करना व सामान्य मत होने पर एक निर्णायक मत देना।
2. अन्य सभी अधिकारो का प्रयोग करना जो उन्हें ट्रस्ट द्वारा सौंपे जाँय।
3. बैठकों में शान्ति व्यवस्था बनाये रखना।
4. बैठकों की तिथि, समय व स्थान का निर्धारण सचिव/प्रबन्धक के परामर्श से करना।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

73AD 438238

5. बैठकों में प्रस्ताव रखना तथा दूसरों को प्रस्ताव रखने की अनुमति देना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अन्य आवश्यक कार्य करना।

सचिव/प्रबन्धक :

1. प्रबन्धकारिणी समिति ट्रस्ट से सम्बन्धित नीति विषयक निर्णय लेगी।

2. किसी व्यक्ति को मनोनीत करने, नियुक्त करने, निष्कासित करने तथा किसी अधिकारी द्वारा किये गये प्रशासनिक निर्णय का अनुमोदन करने या उसे निरस्त करने का अधिकार, सचिव/प्रबन्धक को होगा।

3. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित संस्थाओं में परियोजनाओं के सफल संचालन हेतु समितियों व मुख्य समितियों का गठन करना, उनके पदाधिकारियों का मनोनीत करना व उन्हें अधिकार प्रदान करना तथा भंग करना व प्रदत्त अधिकारों को वापस लेना।

4. ट्रस्ट/न्यास द्वारा गठित समितियों व उपसमितियां, संस्थाओं व परियोजनाओं को अलग-अलग बैंक खातों को समयानुसार चालू करने के लिये पदाधिकारियों को अधिकृत करना व बैंक खाते खुलवाना और उन्हें बन्द करना या परिवर्तन कराना।

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
दस रुपये
रु.10
TEN RUPEES
Rs.10
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 7ZAD 104698

11. ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी भी संस्था (शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक) में वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, पदच्युत करने एवं वेतन-वृद्धि करने एवं रोकने तथा अनुशासनहीनता की दशा में अनुशासनात्मक/वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

12. ट्रस्ट अथवा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के सफल संचालन हेतु दान, अनुदान, चन्दा, गुप्त दान, चल-अचल सम्पत्ति आदि प्राप्त करना। गुप्त दान को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के दान की यथाविधि रसीदें देना।

13. उल्लिखित प्रबन्धकारिणी के अधिकार सम्बन्धी समस्त बिन्दुओं पर सचिव/प्रबन्धक ट्रंस्टी का अनुमोदन अनिवार्य होगा। अध्यक्ष व सचिव/प्रबन्धक ट्रस्टी के अनुमोदन के बिना कोई भी निर्णय मान्य नहीं होगा।

षाध्यक्ष : ट्रस्ट/संस्था के वित्तीय वर्ष के आय-व्यय का लेखा-जोखा रखना, उसका ऑडिट कराना, सचिव/प्रबन्धक के साथ बैंक के खाते का संचालन करना, सचिव/प्रबन्धक की सहमति से समस्त बिल वाउचरों का भुगतान करना, समस्त धन किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कराना तथा रिपोर्ट सचिव/प्रबन्धक को देना।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 73AD 438239

5. सचिव/प्रबन्धक को ट्रस्ट के चल-अचल सम्पत्ति को खरीदने-बेचने, रेहन रखने, ऋण लेने एवं ऋण के अदायिगी का अधिकार होगा।

6. ट्रस्ट/न्यास की ओर से किसी भी प्रकार की अनुबन्ध या दस्तावेज लिखने के लिये या वाद-विवाद के पैरवी करने के लिये किसी भी व्यक्ति को अधिकृत करना तथा किसी जाँच-पड़ताल के लिये ट्रिबुनल का गठन करना और वैधानिक कार्यवाही करना।

7. वार्षिक आय-व्यय को लेखा-जोखा स्वीकृत करना तथा आगामी बजट तैयार करना।

8. ट्रस्ट/न्यास के किसी पदाधिकारी द्वारा लिये गये प्रशासनिक निर्णय के विरुद्ध प्रत्यावेदन पर सुनवाई करना व उस पर निर्णय देना।

9. आवश्यकतानुसार ट्रस्ट/न्यास के नियम और उपनियम बनाना तथा उनको क्रियान्वित करना।

10. प्रबन्धकारिणी समिति ट्रस्ट बोर्ड पर सर्वाधिकार सम्पन्न और वह समस्त निर्णय लेने के लिये सक्षम होगी, जो आवश्यकतानुसार महसूस किये जायेंगे।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

73AD 438242

सदस्य	:	प्रबन्धकारिणी समिति के निर्देश पर बैठकों में भाग लेना एवं ट्रस्ट/संस्था के हित में निर्णय लेना व योजनाओं में स्वार्थरहित भाव से सहयोग प्रदान करना तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उसका प्रचार–प्रसार करना।
कार्यकाल	:	ट्रस्ट/न्यास द्वारा संचालित किसी भी संस्था के प्रबन्धकारिणी का कार्यकाल पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगा।
सूचना–अवधि	:	ट्रस्ट अथवा ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी भी संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के साधारण बैठकों की सूचना 07 दिन पूर्व तथा विशेष/आवश्यक बैठकों की सूचना 24 घण्टे अथवा एक दिन पूर्व देकर बुलाया जायेगा।
सूचना का माध्यम	:	ट्रस्ट अथवा ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी भी संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के बैठकों की सूचना, सचिव/प्रबन्धक द्वारा व्यक्तिगत डाक/रजिस्टर अथवा रजिस्टर्ड डाक अथवा दूरभाष/ई–मेल/एस.एम.एस द्वारा दी जायेगी। दूरभाष/ई–मेल द्वारा दी गयी सूचना को भी वैधानिक सूचना माना जायेगा। अथवा दैनिक समाचार–पत्रों में प्रकाशित कराये गये सूचना को भी वैधानिक माना जायेगा।

S.yadav

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

73AD 438243

(17) न्यासकर्ता/संस्थापक ट्रस्टी के कर्त्तव्य एवं अधिकार :

न्यासकर्ता/संस्थापक ट्रस्टी द्वारा नामित सचिव/प्रबन्धक ही ट्रस्ट/न्यास के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे, जो ट्रस्ट/न्यास के उद्देश्यों के प्रति समर्पित होंगे। न्यासकर्ता ही ट्रस्ट/न्यास के प्रथम आजीवन ट्रस्टी/न्यासी अध्यक्ष होंगे। संस्थापक ट्रस्टी/न्यासकर्ता अपने उत्तराधिकारी को अपने जीवनकाल में उत्तराधिकारी अध्यक्ष मनोनीत कर सकते हैं तथा ट्रस्ट/न्यास के किसी भी ट्रस्टी/न्यासी सदस्य द्वारा ट्रस्ट/न्यास के प्रति असहयोग करने या पागल होने, दिवालिया होने, मृत्यु होने पर न्यायालय द्वारा सजा पाने पर या ट्रस्ट के विरुद्ध कार्य करने पर, संस्थापक ट्रस्टी/न्यासकर्ता उसे ट्रस्ट/न्यास की सदस्यता से मुक्त कर सकता है।

ट्रस्ट/न्यास का प्रशासनिक कार्य न्यासकर्ता द्वारा नामित सचिव/प्रबन्धक द्वारा सम्पादित होगा एवं ट्रस्ट/न्यास के संचालन एवं नियन्त्रण का सर्वाधिकार प्राप्त है व रहेगा। किसी ट्रस्टी/न्यासी की पूर्ति के लिये मनोनयन करना, कर्मचारी की नियुक्ति करना, वेतन–वृद्धि करना एवं बहाल करना, ट्रस्ट/न्यास के समस्त वैधानिक कागजातों एवं दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना एवं ट्रस्ट/न्यास के चल–अचल सम्पत्ति का स्थानान्तरण करना, खरीदना, बेचना या रेहन रखना, बैंक खातों का संचालन करना एवं ट्रस्ट/न्यास के प्रबन्धकारिणी के समस्त प्रस्तावों को कार्य रूप में प्रस्तावित करना, मुख्य कार्य होंगे।

(18) मुख्य ट्रस्टियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य :

मुख्य ट्रस्टी प्रबन्धकारिणी समिति में एजेण्डा के अनुसार अपने विचार रखेंगे और निर्णय लेने में प्रबन्धकारिणी समिति की मदद करेंगे। प्रबन्धकारिणी समिति आम सहमति से मुख्य ट्रस्टियों की संख्या घटा व बढ़ा सकती है।

S.Yadav

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 73AD 438244

(19) सहयोगी ट्रस्टी :

ट्रस्ट/न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं की समितियों, उपसमितियों एवं पदाधिकारियों के रूप में मनोनीत किये जायेंगे और वे सौंपे गये दायित्वों को पूरा करने के लिये प्रतिबद्ध होंगे।

(20) ट्रस्ट/न्यास के सामान्य नियम :

1. ट्रस्ट की प्रबन्धकारिणी समिति में सात सदस्य होंगे, जिनमें ट्रस्टी अध्यक्ष, ट्रस्टी प्रबन्धक/सचिव, ट्रस्टी कोषाध्यक्ष—ये तीन पदाधिकारी एवं चार सदस्य होंगे, जो ट्रस्ट के संचालन के लिये उत्तरदायी होंगे। ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रबन्धक/सचिव ही होंगे।
2. ट्रस्ट/न्यास की कार्यवाही के प्रारम्भ में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे व अन्त में ट्रस्टी/न्यासी अध्यक्ष एवं ट्रस्टी सचिव/प्रबन्धक के हस्ताक्षर होंगे।
3. न्यास में ट्रस्टी सदस्यों की संख्या कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 21 होगी।
4. प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक (एजेण्डा) की सूचना सामान्य रूप से एक सप्ताह पूर्व प्रमाणित साधन डाक/रजिस्टर अथवा दूरभाष/ई-मेल द्वारा दी जायेगी। विशेष परिस्थितियों में आकस्मिक बैठक 24 घण्टे में बुलायी जा सकती है।
5. प्रबन्धकारिणी समिति के प्रस्तावित एजेण्डा में यदि कोई प्रस्ताव नहीं है और उसको समिति में रखना है तो अध्यक्ष की अनुमति से रखा जा सकता है।
6. निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। समान मत पड़ने की स्थिति में अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।
7. ट्रस्ट/न्यास का वार्षिक अधिवेशन एवं समय पर ऑडिट कराना, प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति के निर्देशों पर होगा।

SSYadav

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

73AD 438245

8. ट्रस्ट द्वारा संचालित सभी प्रकार की संस्थाओं की प्रबन्धकारिणी में इस ट्रस्ट के नामित सदस्य ही रहेंगे।

9. ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी भी प्रकार की संस्था की अनुमोदित प्रबन्धकारिणी में विवाद होने की स्थिति में उसके समस्त अधिकार ट्रस्ट में समाहित हो जायेगा, जब तक कि उक्त संस्था की दूसरी (नयी) प्रबन्धकारिणी का गठन/अनुमोदन न हो जाये, तब तक ट्रस्ट ही उसका संचालन करेगा।

(21) ट्रस्ट/न्यास का कोष :

ट्रस्ट/न्यास अपने निजी या अपने अधीनस्थ किसी संस्था या परियोजना का खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट–आफिस में प्रबन्धकारिणी समिति के प्रस्ताव द्वारा पारित करके सचिव/प्रबन्धक व कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से खाता खोल सकता है तथा कोई भी धन सचिव/प्रबन्धक व कोषाध्यक्ष में से किसी एक के हस्ताक्षर से निकाला जायेगा। आवश्यकतानुसार उन खातों में परिवर्तन कर सकता है एवं चयनित पदाधिकारी का नाम परिवर्तित कर सकता है। ट्रस्ट/न्यास का अपना निजी खाता होगा एवं विदेशी सहायता के लिये एक अलग से खाता परिचालित करेगा।

(22) <u>ट्रस्ट/न्यास के दस्तावेजों में संशोधन :</u>

ट्रस्ट/न्यास यदि यह महसूस करता है कि इसके दस्तावेज में किसी धारा में संशोधन, परिवर्तन या परिवर्धन आवश्यक है तो वह संस्थापक सदस्यों की अनुमति/सहमति से कर सकता है अर्थात् घटा या बढ़ा सकता है।

SYadav

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

73AD 438246

(23) विवादित स्थिति में निर्णय :

ट्रस्ट/न्यास में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति आने पर या किसी न्यायालय द्वारा प्रतिबन्धित होने पर ट्रस्ट/न्यास के संस्थापक ट्रस्टी/निष्पादनकर्ता को ट्रस्ट के दस्तावेज के मुताबिक समस्त अधिकार प्राप्त होंगे और वे ट्रस्ट के संचालन के लिये स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा ट्रस्ट की प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति के लिये अलग से ट्रस्टियों को मनोनीत कर सकेंगे और ट्रस्ट/न्यास की समस्त चल-अचल सम्पत्ति के नियन्त्रण व सुरक्षा के प्रति उत्तरदायी होंगे। ऐसी परिस्थिति में संस्थापक ट्रस्टी/निष्पादनकर्ता का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा। किसी भी परिस्थिति में कोई भी ट्रस्टी सदस्य किसी भी न्यायालय में मुकदमा दाखिल नहीं कर सकता है। यह ट्रस्ट/न्यास पर तथा उसके द्वारा संचालित सभी संस्थाओं पर लागू होगा।

(24) ट्रस्ट/न्यास के रिकार्ड व अभिलेख :

सदस्यता रजिस्टर, एजेण्डा रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, कैशबुक, लेजर, वाऊचर, फाइल, सदस्यता फाइल, रसीद, बही, पास-बुक, चेक-बुक, निरीक्षण रजिस्टर, उपस्थित रजिस्टर, वेतन भुगतान रजिस्टर आदि ट्रस्ट के रिकार्ड होंगे, जो सचिव/प्रबन्धक के पास रहेगा।

(25) अनुशासनात्मक कार्यवाही :

ट्रस्ट/न्यास के तथा ट्रस्ट के अधीनस्थ किसी संस्था/समिति के किसी भी प्रबन्ध के पदाधिकारी/सदस्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्णय ट्रस्ट की प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति करेगी।

S. yadav

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

73AD 438247

(26) वाद–विवाद (प्रतिवाद) :

समस्त प्रकार के वाद तथा प्रतिवादों का कार्यक्षेत्र जौनपुर/उत्तर प्रदेश रहेगा तथा ट्रस्ट/न्यास दूसरों द्वारा ट्रस्ट पर दायर वाद–प्रतिवाद ट्रस्ट के पदनाम से होंगे, व्यक्तिगत नाम से नहीं और ट्रस्ट इस प्रकार के वाद–प्रतिवाद की पैरवी के लिये किसी व्यक्ति या पदाधिकारी को मनोनीत कर सकता है तथा अपना कानूनी सलाहकार नियुक्त कर सकता है।

(27) परियोजनाओं के संचालन में ट्रस्ट की व्यापकता :

ट्रस्ट/न्यास सामाजिक लाभ के लिये संस्थाओं, परियोजनाओं का संचालन ग्राम स्तर से लेकर अखिल भारतीय स्तर पर कर सकता है जो कि भारतवर्ष के किसी प्रान्त, जिला, तहसील व ग्राम में चलायी जायेगी।

(28) पदों का सृजन :

ट्रस्ट/न्यास आवश्यकतानुसार विभिन्न संस्थाओं/कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिये आवश्यक पदों का सृजन कर सकता है और इन पर सुयोग्य व्यक्ति को पद स्थापित कर सकता है तथा सम्बन्धित कार्यक्रमों की प्रबन्ध समितियों का गठन करके उनके उत्तरदायी पदाधिकारियों को मनोनीत करके उन्हें कार्य सौंप सकता है।

(29) लेखा–जोखा (ऑडिट) :

आर्थिक वर्ष के उपरान्त न्यास/ट्रस्ट अपने लेखा–जोखा को चुस्त–दुरुस्त रखने के उद्देश्य से उसका ऑडिट भी करायेगा। आवश्यकता पड़ने पर अपने खर्च से ट्रस्ट/न्यास के पदाधिकारियों/मुख्य ट्रस्टी की सहमति से ऑडिट करायेगा तथा उसका लेखा–जोखा भी रखेगा। वह चार्टर एकाउन्टेन्ट (सी.ए.) की मदद भी ले सकता है।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

73AD 438248

(30) <u>ट्रस्ट/न्यास का विस्तार :</u>

श्री द्वारिका दास हरि ट्रस्ट अपने कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के सफल संचालन के लिये भारतवर्ष के किसी भी प्रान्त या जिले में अपना क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित कर सकता है।

(31) <u>ट्रस्ट/न्यास के उत्तराधिकारी की घोषणा :</u> मैं श्री डा0 सूर्यभान यादव पुत्र हरीलाल यादव निवासी ग्राम व पोस्ट—डेहरी, तहसील—शाहगंज, जिला—जौनपुर उत्तर प्रदेश जो इस ट्रस्ट/न्यास का संस्थापक ट्रस्टी/निष्पादनकर्ता हूँ, अपने पूर्ण होशोहवास से घोषणा करता हूँ कि मेरे अस्वस्थ होने (दिमागी/शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने) पर अथवा मेरी मृत्यु के उपरान्त मेरे सभी पुत्र आपसी सहमति से किसी एक को मेरा पदभार सौंपेगें तथा उनको स्वस्थ मन—चित्त से अपना सहयोग प्रदान करेंगे और उनसे अपेक्षा करता हूँ कि वे अपने स्वस्थ मन—चित्त से इस ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्ट की प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के परामर्श से इसका सफल संचालन एवं विस्तार करेंगे।

अतः मैं श्री डा0 सूर्यभान यादव पुत्र हरीलाल यादव निवासी ग्राम व पोस्ट—डेहरी, तहसील—शाहगंज, जिला—जौनपुर उत्तर प्रदेश सन्दर्भित ट्रस्ट/न्यास में उपरोक्त अंकित कथन को अपने स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त मन से पूर्ण होशोहवास के साथ पढ़/सुन/समझ कर निम्नलिखित गवाहनों के समक्ष अपने हस्ताक्षर से रजिस्टर्ड कराता हूँ, ताकि सनद रहे और वक्त पर काम आये।

मसविदा कर्ता : श्री राजेश श्रीवास्तव एडवोकेट
तहसील—शाहगंज, जिला—जौनपुर।

SByadav

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

73AD 438249

टाईपकर्ता–

(अतुल कुमार राजभर)
पता–तहसील गेट के सामने नई आबादी
शाहगंज, जौनपुर।

गवाहः–1–दिनेश यादव पुत्र स्व0 भारत यादव
निवासी ग्राम–कटका, पोस्ट–डेहरी तहसील–शाहगंज
जिला–जौनपुर।
आधार नं0–8034 1856 9004
मो0नं0–9956180140

दिनेश यादव

गवाहः–2–पंकज कुमार पुत्र कन्तलाल
निवासी ग्राम–सुल्तानपुर घुघुरी, पोस्ट– सुल्तानपुर घुघुरी,
तहसील–शाहगंज जिला–जौनपुर।
आधार नं0–7843 0273 0277
मो0नं0–9794460732

पंकज कुमार

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

73AD 106700